# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

वाद संख्या:–133 सन् 2020 दायरा दिनांक:– 12/10/2020

भानसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत निवासी परावा तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. बजरंगसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत निवासी परावा तहसील बीदासर जिला चूरू
2. अजीतसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपुत निवासी परावा तहसील बीदासर जिला चूरू
3. बिजूसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपुत निवासी परावा तहसील बीदासर जिला चूरू
4. श्रवणसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपुत निवासी परावा तहसील बीदासर जिला चूरू
5. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा सुजानगढ जिला चूरू
6. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

**दावा विभाजन, चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति बाबत।**

उपस्थित :–

1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादी
2. श्री गौतम सैनी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

## –: निर्णय :–

दिनांक:– 09.12.2020

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है :– कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 458 चार सौ अठावन तादादी 5.3115 पांच दशमलव तीन हजार एक सौ पन्द्रह हेक्टेयर, खसरा संख्या 174 एक सौ चौहतर तादादी 5.1218 पांच दशमलव एक हजार दौ सौ अठारह हेक्टेयर, खसरा संख्या 459 चार सौ उनसठ तादादी 1.6567 एक दशमलव छः हजार पांच सौ सडसठ हेक्टेयर, खसरा संख्या 460 चार सौ साठ तादादी 9. 6239 नौ दशमलव छः हजार दौ सौ उनचालीस हेक्टेयर भूमि वाके रोही परावा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसे इस वादपत्र में आगे "वादगत भूमि" के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादगत भूमि में सें खसरा संख्या 458 चार सौ अठावन व खसरा संख्या 174 एक सौ चौहतर व खसरा संख्या 459 चार सौ उनसठ में वादी का 1/3 एक बट्टा तीन हिस्सा व खसरा संख्या 460 चार सौ साठ में वादी का 1/2 एक बट्टा दौ हिस्सा नियत है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार का खान पान, लेन–देन सब अलग–अलग है। वादगत खेतों की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानीयां हो रही है ओर प्रतिवादीगण वादगत खसरेजात की भूमियों की सीमा चिन्ह को लेकर वादी के साथ झगडा फसाद करते रहते है। वादी ने वादगत खसरेजात की भूमि पर कठिन परिश्रम करके उक्त हिस्सा भूमि को काफी उपजाउ बना रखा

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार के मन में बईमानी होने के कारण वादी के हिस्से पांति की भूमि पर नाजायज कब्जा करने की कुचेष्ठा करने में लगे हुए है तथा वादी को नुकसान पहुंचाने की नियत बना रखी है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वोह अपने हिस्से पांति की संयुक्त खातेदारी भूमि का "बाई मीटस एण्ड बाउन्स" के आधार पर विभाजन करवाकर अपनी संयुक्त हिस्सा की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में अलग अंकित करवाकर लगान का अलग से विभाजन करवायें। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार से दिनांक 20.09.2020 को मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेतों की खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में अलग अलग अंकित करवाये, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार ने साफ इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 4 चार की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 6 छः के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम परावा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है।

आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की तरफ से राजीनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 बावजुद तामिल उपस्थित नहीं। अतः प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दावा में वादी व प्रतिवादी संख्या 5 ता 6 की ओर से राजीनामा पेश करने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी ने वाद के समर्थन में वादगत भूमि की जमाबंदी व नक्शा की प्रमाणित प्रति पेश की। राजीनामा में वादी की पहचान श्री मनोज गोदारा एडवोकेट द्वारा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

के प्रधान श्री गौतम सैनी एडवोकेट द्वारा की गई। राजीनामा को पक्षकारान् को पढकर सुनाया व समझाया गया तो पक्षकारान् ने राजीनामा का निष्पादन करना व सही होना स्वीकार किया तथा राजीनामा के अनुसार अपने दावा को डिक्री करने का निवेदन किया।

बहस फरीकेन व वकुलान की सुनी गई। वकुलान ने भी अपनी बहस में दावा को राजीनामा के अनुसार निर्णित करने का निवेदन किया। किसी भी पक्षकार द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया। पक्षकारों के बीच हुए राजीनामा का अवलोकन किया गया। पक्षकारों के बीच हुए राजीनामा पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। पक्षकारों के बीच किया गया राजीनामा विधि के प्रावधानों के विपरीत अथवा किसी लोक निति के विपरीत नहीं है। धारा 89 सीपीसी के तहत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक न्यायालय यह प्रयास करेगा कि विवाद को उभयपक्ष की सहमति से तथा समझाईस से निर्णित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। पक्षकारों के आपस में वाद के किसी तथ्यों को लेकर कोई विवाद ना हो तथा पक्षकारों के मध्य सांमजस्य की भावना बनी रहे व वाद पत्र की प्रकृति को देखते हुए वादी का वाद राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

## —: आदेश :—

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर पक्षकारों का वाद डिक्री योग्य होने से स्वीकार कर राजीनामा अनुसार इस प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम परावा के खसरा संख्या 174 तादादी 5.1218 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 अजीतसिंह, बिजुसिंह, श्रवणसिंह पुत्रगण उम्मेदसिंह जाति राजपुत निवासी परावा के संयुक्त नाम से ब.हिब. अलग खातेदारी में तथा खसरा संख्या 460 तादादी 9.6239 हेक्टेयर में सें पूर्वी साईड की 4.8119 हेक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 458 तादादी 5.3115 हेक्टेयर में सें पश्चिमी साईड की 4.5528 हेक्टेयर भूमि वादी भानसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत निवासी परावा के अकेले के नाम से अलग खातेदारी में तथा खसरा संख्या 459 तादादी 1.6567 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण व खसरा संख्या 460 तादादी 9.6239 हेक्टेयर में सें पश्चिमी साईड की 4.8120 हेक्टेयर भूमि राहिन पीएनबी शाखा सुजानगढ व खसरा संख्या 458 तादादी 5.3115 हेक्टेयर में सें पूर्वी साईड की 0.7587 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 बजरंगसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत निवासी परावा तहसील बीदासर के अकेले के नाम से अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन किया जावे। उपरोक्तानुसार पृथक—पृथक खातेदारी दर्ज करने व लगान कायम करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् स्वंय वहन करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

# अन्तिम डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

**(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)**

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

**भानसिंह बनाम बजरंगसिंह आदि**

**दावा विभाजन व चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।**

मुकदमा नं. 133/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु.....हाजरी श्री मनोज गोदारा वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई व गौतम सैनी एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम परावा के खसरा संख्या 174 तादादी 5.1218 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 अजीतसिंह, बिजुसिंह, श्रवणसिंह पुत्रगण उम्मेदसिंह जाति राजपुत निवासी परावा के संयुक्त नाम से ब.हिब. अलग खातेदारी में तथा खसरा संख्या 460 तादादी 9.6239 हेक्टेयर में सें पूर्वी साईड की 4.8119 हेक्टेयर भूमि व खसरा संख्या 458 तादादी 5.3115 हेक्टेयर में सें पश्चिमी साईड की 4.5528 हेक्टेयर भूमि वादी भानसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत निवासी परावा के अकेले के नाम से अलग खातेदारी में तथा खसरा संख्या 459 तादादी 1.6567 हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण व खसरा संख्या 460 तादादी 9.6239 हेक्टेयर में सें पश्चिमी साईड की 4.8120 हेक्टेयर भूमि राहिन पीएनबी शाखा सुजानगढ व खसरा संख्या 458 तादादी 5.3115 हेक्टेयर में सें पूर्वी साईड की 0.7587 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 बजरंगसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपुत निवासी परावा तहसील बीदासर के अकेले के नाम से अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन किया जावे। उपरोक्तानुसार पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज करने व लगान कायम करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् स्वंय वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। अंतिम डिक्री की पालना बाबत तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

चीज .....मुबलिग .....बाबत .....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .....को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.12.2020

मुहर

दस्तखत .....
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर
ओहदा .....

| मुद्दई | रुपया | पै. | मुद्दायलाई | रुपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील पर | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner